कार्यालय मुख्य कारख़ाना प्रबंधक,
उत्तर रेलवे, जगाधरी वर्कशॉप ।

217

संख्या :974- ई /हित/ कोविड-19/ज.व.

दिनांक: 16.06.2020

सभी अधिकारीगण,
सभी वरिष्ठ पर्यवेक्षक, जगाधरी एवं कालका वर्कशॉप ।

विषय: कोविड-19 महामारी के संबंध में दिशा निर्देश ।

संदर्भ: इस कार्यालय के पत्र समसंख्यक दिनांक 07.05.2020, 01.06.2020 एवं 12.06.2020।

***

कोविड-19 संक्रमण रोकने हेतु जगाधरी- कालका वर्कशॉप में आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए जाते हैं :-

1) इस कार्यालय के पत्र समसंख्यक दिनांक 07.05.2020 के द्वारा आदेश जारी किए गए थे कि यदि किसी कर्मचारी को कोविड-19 से संबंधित लक्षण पाए जाते हैं जैसे जुकाम, खाँसी व बुखार की शिकायत हो तो उस कर्मचारी को शीघ्र रेलवे अस्पताल भेजा जाए और उसे ड्यूटी पर न लिया जाए जब तक उसे रेलवे डॉक्टर द्वारा फ़िट घोषित न किया जाए।
2) जगाधरी वर्कशॉप में कार्यरत कोई भी कर्मचारी अथवा उसका परिवार किसी कोविड-19 के संपर्क में आने के कारण स्वास्थ्य विभाग के द्वारा कोविड-19 परीक्षण किया जाता है, परीक्षण नेगेटिव आने पर भी कर्मचारी को 14 दिन होम क्वॉरंटीन रहना पड़ेगा।
3) किसी भी कर्मचारी के परिवार का सदस्य या उसके निवास स्थान में कोई भी कोविड-19 से पॉजिटिव पाए जाने पर अथवा ट्रैवल हिस्ट्री पाए जाने पर, कर्मचारी अपने कार्यालय में घोषणा पत्र देगा ।
4) इस कार्यालय के पत्र समसंख्यक दिनांक 12.06.2020 के निर्देशानुसार कोई भी कर्मचारी बिना अनुमति के अपना मुख्यालय छोड़कर नहीं जाएगा। अगर कोई कर्मचारी अनुमति लेकर भी मुख्यालय छोड़कर जाएगा और वापस आकर कर्मचारी अपना स्वयं का घोषणा पत्र देगा और यह भी बताएगा कि वह सरकार द्वारा घोषित कंटेनमेंट जोन में न गया हो ना आया हो और किसी कोविड-19 संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में भी ना आया हो। अगर कोई कर्मचारी बिना अनुमति के मुख्यालय छोड़कर जाता है तो उसके विरुद्ध अनुशासन अपील नियम के तहत कार्यवाही की जाएगी जिस के संदर्भ में इस कार्यालय के पत्र समसंख्यक दिनांक 12.06.2020 के द्वारा दिशा निर्देश जारी किए जा चुके हैं।
5) किसी कर्मचारी का स्थानीय निवास-स्थान कंटेनमेंट क्षेत्र में आता है, तो उस कर्मचारी को सुपरवाइजर द्वारा ड्यूटी पर ना बुलाया जाए। उन कर्मचारियों के प्रार्थना पत्र एवं जरूरी दस्तावेज प्रस्तुत करने पर सक्षम अधिकारी द्वारा वर्क फ्रॉम होम माना जाएगा, जिस के संदर्भ में इस कार्यालय के पत्र समसंख्यक दिनांक 01.06.2020 के द्वारा दिशा निर्देश जारी किए जा चुके हैं।

16/6/2020

कृते मुख्य कारख़ाना प्रबंधक,
उत्तर रेलवे, जगाधरी वर्कशाप।

प्रतिलिपि - सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु

1) सचिव NRMU (यांत्रिक एवं विद्युत)- जगाधरी एवं कालका वर्कशॉप ।
2) सचिव URMU (यांत्रिक एवं सामान्य)- जगाधरी एवं कालका वर्कशॉप ।
3) सचिव SC/ST एवं OBC Association ।
4) सभी मुख्य कार्यालय अधीक्षक/इन्चार्ज-जगाधरी एवं कालका वर्कशॉप ।

Scanned with CamScanner